न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 48 / 2019
दायर दिनांक :– 19.03.2019

अनवान

श्री महेन्द्र सिंह पिता रघुराज सिंह राजपूत नि. पनवाड मोड देवली
प्रार्थी.........

बनाम

1. श्री भंवर लाल पिता रामपाल ब्राहमण नि. कुचलवाडा तह. जहाजपुर
2. श्री नन्द भवर सिंह पिता कैलाश सिंह राजपूत नि. कुचलवाडा तह. जहाजपुर
3. श्री राजेन्द्र पिता कन्हैयालाल बागडी लखारा नि. देवली

अप्रार्थीगण......

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान ले. रे. एक्ट ::

:: आदेश :: दिनांक 17.03.2020

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम हनुमान नगर प0 ह0 उँचा तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 सं0 585 / 1 रकबा 2.19 बीघा भुमि स्थित है। जिसमे स्थायी सीमा की जानकारी नही होने से सीमाओ को लेकर विवाद है। जिसे स्थायी सीमा चिन्ह लगाने की मांग की।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 व विवाद बाबत शपथ पत्र पेश किया गया।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि ग्राम हनुमान नगर प0 ह0 उँचा तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 सं0 585 / 1 रकबा 2.19 बीघा भुमि की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक अमरवासी का कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रू. तय किये जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 17.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.08.26 11:01:05 IST
Reason: SelfAttested